बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग।

पत्रांक – प्र०–10 / विविध–03–41 / 2018– पटना, दिनांक–

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग को छोड़कर) /
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल को छोड़कर) /
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० प्रमंडल को छोड़कर)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– **पथ निर्माण विभाग में पथ के चौडीकरण के लिए पेड़ की कटाई, Utility Shifting एवं भूमि अधिग्रहण के संबंध में दिशा–निर्देश।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशित किया जाता है कि पथ निर्माण विभाग में पथ के चौड़ीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण, Utility Shifting एवं पेड़ की कटाई एंव बिहार सरकार की महत्वकांक्षी योजना "जल–जीवन–हरियाली" को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि पथ के चौड़ीकरण में पेड़ों की कटाई कम से कम हो एवं Utility Shifting में अतिरिक्त व्यय वहन न हो तथा भूमि अधिग्रहण में भी उक्त बिन्दुओं का ध्यान रखा जाए।

पथ के चौड़ीकरण कार्य के क्रम में भूमि का अधिग्रहण पथ के एक तरफ (One Side) ही किया जाए ताकि पेड़ों की कटाई कम से कम हो तथा चौड़ीकरण कार्य Utility Shifting के कार्य भी एक ही तरफ करना पड़े। अलग–अलग Stretch में आवश्यकतानुसार जिस तरफ पेड़ एवं Utility Shifting कम हो, उसी तरफ भूमि अधिग्रहण किया जाए।

अतः निदेशित किया जाता है कि सभी मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता अपने–अपने क्षेत्र में DPR तैयार करने के समय तथा कार्य करने क समय इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

ह० / –
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– **प्र०–10 / विविध–03–41 / 2018–** पटना / दिनांक–

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– **प्र०–10 / विविध–03–41 / 2018–** 1371(S) पटना / दिनांक– 19/02/2020

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर Upload करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.2.20
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

D/ Tipe Section/ Prasakha-10/11/ Ravi